राजीविका का राष्ट्रीय सरस मेला अगले माह जयपुर में होगा : भजनलाल शर्मा

देशभर की स्वयं सहायता समूह महिलाओं को मिलेगा मंच : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। आगामी दिसंबर माह में जयपुर में राजीविका के राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके माध्यम से देशभर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस आयोजन में प्रदेश की समृद्ध कला से संबंधित स्थानीय उत्पादों को शामिल करने एवं प्रदेश की राजीविका महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैठकें आयोजित कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सीएमओ में राजीविका एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक ली।

- राजीविका उत्पादों की बिक्री के लिए विकसित हो रहा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म : सीएम
- राजीविका महिलाओं को उत्पाद बनाने से लेकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के मिले अवसर : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजीविका एवं डेयरी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि ये सेक्टर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रभावी माध्यम हैं। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें उत्पाद निर्माण के साथ मार्केटिंग, ब्रांडिंग एवं बिक्री के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अब तक 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के बेहतर अवसरों के साथ उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध करवाना जरूरी है। ऐसे में राज्य सरकार महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इससे उनके उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी और आय के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने सरस सखी योजना को ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक समृद्धि की दिशा में अभिनव पहल बताया। उन्होंने कहा कि राजीविका एवं डेयरी विभाग संयुक्त कार्ययोजना को प्रभावी रूप से लागू करते हुए उत्पादों को एकीकृत विपणन नेटवर्क से जोड़े। साथ ही, उन्होंने सरस सखियों को संभाग स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

विजय बाजिया हत्याकांड : आरोपियों के रिश्तेदारों के ठिकानों पर पुलिस की दबिश

तीन ट्रैक्टर, जीप और कार जब्त किए पुलिस टीम ने

जयपुर। करधनी थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस ने गुरुवार रात दबिश दी। इस दौरान तीन संदिग्ध ट्रैक्टर, एक डीआई जीप और एक कार जब्त की गई। पुलिस के अनुसार, हत्या की वारदात सात साल पहले हुई पिता की हत्या की रंजिश में अंजाम दी गई थी।

गौरतलब है कि तिबारिया (जयपुर ग्रामीण) निवासी विजय बाजिया की 11 नवंबर 2026 को करधनी थाना क्षेत्र में रावण गेट के पास कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। जयपुर पश्चिम पुलिस ने मामले में अनीश गोलिया, कमलेश गोलिया, युवराज चौधरी और दिनेश निठारवाल को गिरफ्तार किया है।

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर ग्रामीण एसपी नीरज पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश दी। मुख्य आरोपी अनीश गोलिया के घर से एक संदिग्ध ट्रैक्टर और एक डीआई जीप जब्त की गई। ये दोनों वाहन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत जब्त किए गए। वहीं, अनीश के चचेरे भाई कमलेश के घर से दो संदिग्ध ट्रैक्टर और एक कार मिली, जिन्हें भी जब्त किया गया। पुलिस ने दिनेश निठारवाल और युवराज चौधरी के घर भी दबिश दी। वारदात में अन्य लोगों की भूमिका की जयपुर पश्चिम पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस जांच के अनुसार विजय बाजिया और उसके भाई बजरंग ने वर्ष 2019 में कैलाश गोलिया की हत्या की थी। कैलाश, मुख्य आरोपी अनीश गोलिया के पिता थे। पिता की हत्या के बाद से अनीश और उसके परिवार में विजय के प्रति रंजिश थी। विजय और अनीश के परिवारों के खेत आसपास होने के कारण अक्सर आमना-सामना होता था। आरोप है कि विजय खेतों में आने-जाने के दौरान अनीश और उसके परिजनों को कैलाश की हत्या का जिक्र कर ताने देता था।

जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि करीब तीन महीने पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इस संबंध में जोबनेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया, लेकिन आपसी रंजिश बनी रही।

पुलिस के अनुसार 11 नवंबर को अनीश और उसका चचेरा भाई कमलेश तिबारिया गांव में ग्वार बेचने जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात विजय से हुई। आरोप है कि विजय ने फिर से अनीश को उसके पिता की हत्या का जिक्र कर धमकी दी। इससे नाराज होकर अनीश और कमलेश ने अपने साथियों युवराज चौधरी और दिनेश निठारवाल को बुलाया। इसके बाद चारों ने विजय की हत्या की साजिश रची।

आरोपियों ने वारदात के लिए नई कुल्हाड़ियां खरीदीं। इसके लिए 750 रुपये में कुल्हाड़ियां खरीदी गईं और 150 रुपये में उनके हत्थे लगवाए गए। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर विजय की रील और तस्वीरें देखकर उसकी गाड़ी की पहचान की तथा गाड़ी के नंबर जुटाए। इसके बाद जोबनेर से जयपुर तक उसका पीछा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 11 नवंबर की रात करीब आठ बजे करधनी थाना क्षेत्र में रावण गेट के पास विजय की गाड़ी रुकवाकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में उसकी मौत हो गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि विजय बाजिया तिबारिया, बस्सी नागान का रहने वाला था। जयपुर के हाथोज स्थित रॉयल सिटी में जेपी प्रॉपर्टीज के नाम से उसका कार्यालय था और वह प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। वह हाथोज में एक फ्लैट में नांगल लाठी निवासी सीताराम नायक के साथ रहता था।

जांच में यह भी सामने आया कि प्रॉपर्टी विवादों में विजय कई लोगों को पुराने हत्या के मामलों का जिक्र कर डराता था। पुलिस वारदात में अन्य संभावित आरोपियों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

राज्यपाल ने शोक जताया

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने असम के काजीरंगा में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।

जयपुर की 300 साल की विरासत को समर्पित होगा पहला डिजाइन फेस्टिवल

जयपुर। जयपुर की ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की पहचान को डिजाइन के नजरिए से समझने के लिए पहली बार जयपुर डिजाइन फेस्टिवल (जेडीएफ) का आयोजन 16 से 18 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र में होगा। एसोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया (एडीआई) के जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित इस फेस्टिवल की थीम 'जयपुर रीइमैजिन्ड बाय डिजाइन' रखी गई है। इसमें डिजाइनर, वास्तुकार, शिक्षाविद्, शिल्पकार और उद्यमी भाग लेंगे।

- 16 से 18 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र में आयोजन होगा
- छह मंचों पर शहर के भविष्य, शिल्प, पर्यावरण, शिक्षा और तकनीक पर चर्चा होगी; शाम को लोककला, कविता और संगीत की प्रस्तुतियां



फेस्टिवल में शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिल्प, शहरी विकास, उद्यमिता और उभरती तकनीकों पर छह मंचों के माध्यम से विचार-विमर्श होगा। इनमें 'एजुकेशन बाय डिजाइन', 'सर्कुलर जयपुर', 'क्राफ्टिंग आइडेंटिटी', 'द सिटी वी मेक', 'डिजाइन इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज' और 'द फ्यूचर ऑफ डिजाइन' शामिल हैं। विभिन्न सत्रों में जीनान के.बी., मनीषा मोहन, संदीप सेठी, दिलीप बैद, गौरव शौरी, ममता मंसिंका, गीतांजलि कासलीवाल, नरेश नरसिम्हन, मनीषा शर्मा, लीला बोरडिया, आयुष कासलीवाल, अयाज बसराय और निवेदन राठी सहित अनेक विशेषज्ञ विचार साझा करेंगे।

16 नवंबर को कैलाश गौर लोकगीत, चंग और बांसुरी के माध्यम से जयपुर के 300 वर्षों का सफर प्रस्तुत करेंगे। 17 नवंबर को 'जल जंगल जमीन' कार्यक्रम में रोहित सिंह की कविताओं के साथ गौरव भटनागर और गौतम गुप्ता की संगीत प्रस्तुतियां होंगी। 18 नवंबर को ड्रम सर्कल इंडिया की सामूहिक प्रस्तुति के साथ फेस्टिवल का समापन होगा। आयोजकों के अनुसार फेस्टिवल में 10 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य जयपुर की सांस्कृतिक पहचान, सार्वजनिक स्थलों और शहर के भविष्य के निर्माण में डिजाइन की भूमिका को सामने लाना है।

24 साल पुराने मामले में जेल अधीक्षक बरी

जयपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12, महानगर प्रथम ने कैदी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने से इनकार करने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना के 24 साल पुराने मामले में केंद्रीय कारागार के तत्कालीन अधीक्षक विनोद कुमार माथुर को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि कैदी को जेल में दाखिल नहीं करने की जानकारी जेल अधीक्षक तक पहुंची थी। मामले के अनुसार 6 दिसंबर, 2002 को तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी दर्शन सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में जयपुर केंद्रीय कारागार भेजने के आदेश दिए थे। अगले दिन 7 दिसंबर को कैदी को लेकर आए लखनऊ पुलिस के सिपाही ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर बताया कि 6 दिसंबर की रात कैदी को जेल ले जाने पर मुख्य गेट पर तैनात गार्ड ने जेल बंद होने की बात कहकर उसे दाखिल करने से मना कर दिया।



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने मुलाकात कर दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल ने भी उन्हें दीपावली के नव वर्ष की बधाई दी। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

गहलोत के आरोपों पर मंत्री दिलावर और बेढ़म ने पलटवार किया

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता के बीच काम करने वाली सरकार है और काम ही उसकी पहचान है। हम विधानसभा से डरकर वॉकआउट करने या सदन से भागने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत और कांग्रेस नेता भजनलाल सरकार के ढाई साल के कामकाज की तुलना अपने पांच साल के कार्यकाल से करने पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। गत 34 महीने बनाम पांच साल के कामकाज का हिसाब देने में भी कांग्रेस विफल रही। सरकार तीन साल पूरे होने पर अपने ऐतिहासिक कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी।

- दिलावर बोले "हम विधानसभा से डरकर वॉकआउट या भागने वालों में से नहीं, हमारा काम ही पहचान"
- बेढ़म ने कहा "झूठे आंकड़ों के बजाय अपने पांच साल के काम का हिसाब दें गहलोत"

दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने तीन साल पूरे होने से पहले ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक विकास कार्य किए हैं। पानी, बिजली, सड़क, कृषि, सिंचाई, महिला सशक्तीकरण और युवाओं को रोजगार सहित बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना में अधिकतर क्षेत्रों में डेढ़ से 28 गुना तक अधिक काम किया है। यह सरकार की कार्यकुशलता, स्पष्ट नीति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार रहित, पेपरलीक रहित और अपराध रहित सुशासन स्थापित किया गया है। हमारा काम बोलता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता झूठ बोलकर तथा नए-नए राजनीतिक पैंतरे अपनाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। झूठे और भ्रामक आंकड़ों के सहारे जनता को गुमराह करने की कांग्रेस की कोशिश सफल नहीं होगी।

बेढ़म ने कहा कि गहलोत झूठे आंकड़ों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने की साजिश करने के बजाय अपने पांच साल के शासन का हिसाब दें। भाजपा सरकार अपने काम और उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी और प्रदेश के विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाएगी।

कोटा संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल व्यवस्था की समीक्षा होगी

जयपुर (कासं)। कोटा में प्रसूता श्रीमती प्रीति महावर की मृत्यु के प्रकरण को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पूरे मामले के चिकित्सकीय पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करने और कोटा संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं एवं रेफरल व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रसूता की मृत्यु अत्यंत दुखद है और राज्य सरकार मातृ मृत्यु की प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेती है। प्रसव के बाद महिला की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। जांच में लिवर फंक्शन में अत्यधिक खराबी सामने आई। बाद में फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर एवं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की स्थिति विकसित हुई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। हेपेटाइटिस-ए एवं हेपेटाइटिस-ई की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

खींवसर ने कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह को कोटा संभाग भेजकर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को समय पर उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सेतु रेफरल सिस्टम को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को बिना देरी उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

देवनानी की राज्यपाल से मुलाकात

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। देवनानी ने बागडे को पुष्प गुच्छ भेंट कर दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। देवनानी की राज्यपाल से यह शिष्टाचार भेंट थी।

नाम परिवर्तन

मैं, आर्मी न. 4189397X, हवलदार भादुर सिंह पुत्र नारायण सिंह, निवासी ग्राम बण्डवा, तह.रतनगढ़, चूरू-331802, हाल सर्विसरत 420 DSC-PL 56 एपीओ मेरे सर्विसरिकॉर्ड में मेरी माताजी का नाम किरण कँवर (KIRAN KUNWAR) और जन्मतिथि 08/03/1956 गलत दर्ज है। सही नाम किरण कँवर (KIRAN KANWAR), जन्मतिथि 01/01/1956 है। भविष्य में इसे ही सही माना जाये।

I have changed my name from Anviksha to Anviksha Yadav in future I known by this name for all purpose Address: C-44, Sita Nagar-II, Near 200 Feet Flyover Heerapura, Ajmer Road, Jaipur

पंचायत चुनाव : कांग्रेस ने भी शुरू की प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, विधायक-जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी

20 नवंबर को मतगणना तक होटल-रिसोर्ट में रहेंगे प्रत्याशी; चुनाव जीतने वालों को जिला प्रमुख-प्रधान के चुनाव तक रखने की तैयारी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। पंचायत राज चुनाव में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के मौजूदा विधायकों, विधानसभा प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रत्याशियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनकी बाड़ेबंदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत तीन चरणों के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को अलग-अलग स्थानों पर सामूहिक रूप से ठहराया जा रहा है।

बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के विधायक, जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशियों को आपसी समन्वय से सौंपी गई है। कई जगह प्रत्याशियों को देव दर्शन के बहाने धार्मिक स्थलों पर ले जाया जा रहा है, तो कहीं पर्यटन स्थलों और होटलों में ठहराया जा रहा है। महिला प्रत्याशियों की मांग पर उन्हें अपने छोटे बच्चों को भी साथ रखने की अनुमति दी गई है। जिसकी वजह से पार्टी की महिला प्रत्याशी अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी बाड़े बंदी में लेकर जाती हुई दिखी।

20 नवंबर तक रहेगी बाड़ेबंदी

प्रदेश में 14 नवंबर को पंचायत राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण का मतदान होगा। इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों को भी बाड़ेबंदी में भेजा जाएगा। आगामी 20 नवंबर को मतगणना के बाद हारने वाले प्रत्याशियों को घर भेज दिया जाएगा, जबकि जीतने वाले प्रत्याशियों को जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक पार्टी के निर्देशानुसार बाड़ेबंदी में रखा जाएगा।

शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों के चलते होटल-रिसोर्ट की बुकिंग में भाजपा और कांग्रेस दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने अच्छे होटल और अच्छे रिजॉर्ट की डिमांड की है, ताकि वह अपने परिवार के साथ ठीक तरह से समय व्यतीत कर सके, क्योंकि अगले 15 दिनों तक लंबा समय पार्टी के प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में बिताना है, इसलिए उन्होंने अच्छे रिजल्ट और अच्छे होटल की डिमांड की है।

- महिला प्रत्याशियों को बच्चों को साथ रखने की छूट दी पार्टी ने

निकाय चुनाव के अनुभव से कांग्रेस सतर्क

पिछले नगर निकाय चुनावों में महापौर, अध्यक्ष और सभापति के निर्वाचन के दौरान भाजपा पर लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस इस बार जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी कारण विधायकों, जिला अध्यक्षों, विधानसभा प्रत्याशियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं को बाड़ेबंदी की पूरी अवधि में प्रत्याशियों के साथ समन्वय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

एसआईआर के बीच वोट रक्षक ऐप लॉन्च

इधर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कांग्रेस ने बूथ स्तर पर वोट रक्षकों की नियुक्ति की है। इन्हें मतदाता सूची से हटाए गए नामों और नए जुड़े नामों की निगरानी तथा गड़बड़ी मिलने पर निर्वाचन अधिकारी और बूथ लेवल ऑफिसर के समक्ष शिकायत करने की जिम्मेदारी दी गई है।

शुक्रवार को इसी अभियान के तहत बूथ स्तर पर वोट रक्षक ऐप भी लॉन्च किया गया। कांग्रेस इस व्यवस्था को अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि Flat No. G-1, Ground Floor, मंगलम सिटी, ब्लॉक E, प्लॉट नम्बर E-6, हाथोज, कालवाड़, जयपुर, एरिया 1050 Sq. Ft. को श्री कपील कुमार पुत्र सुल्तान सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2017 खरीद किया था। उक्त सम्पत्ति को उनके द्वारा TATA Capital Housing Finance Limited के यहां ऋण की एवज में बंधक रखा था। उक्त ऋण की अदायगी नहीं करने पर उक्त TATA Capital Housing Finance Ltd. ने उक्त सम्पत्ति को वजरिये नीलाम करके सेल सर्टिफिकेट रजिस्टेशुदा दिनांक 16.12.2022 श्री आशीष मित्तल पुत्र नरेश चंद के हक में जारी कर दिया। श्रीमती रजनी कुमारी सोनी धर्मपत्नि सुनील ने उपरोक्त वर्णित फ्लैट खरीदने के लिये एक इकरारनामा उक्त आशीष मित्तल से किया है तथा उसके आधार पर श्रीमति रजनी कुमारी सोनी धर्मपत्नि सुनील HDFC बैंक की सी-स्कीम शाखा से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति HDFC बैंक की सी-स्कीम शाखा में बंधक करेगी। यदि उक्त संपत्ति के बावत् किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था अथवा अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो वो इस Notice के प्रकाशन के सात दिन के भितर अपना दावा मय दस्तावेज के प्रस्तुत करे अन्यथा सम्पावधि निकलने के पश्चात् उक्त संपत्ति को क्रय करके बैंक के हक में बंधक कर दी जायेगी। भवदीय

धीरेन्द्र मोहन माथुर अधिवक्ता, मो. नं.-9116632826
374, वसुन्धरा कॉलोनी, क्रॉती नगर जैन मंदिर के पास, टोंक रोड, जयपुर।

अपील की सुनवाई के लिये नियम दिन की प्रत्यर्थी को सूचना

(आदेश 41 के नियम 14)

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला-कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान

बिशन सिंह बनाम ग्राम पंचायत भैंसलाना वगै.

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भैंसलाना, दिनांक 07.02.2025 बाबत् नामान्तरण संख्या 2845 आराजी हाल खसरा नम्बर 709/0.30, 721/0.61, 722/0.65, 684/0.47 हौ0 वाके ग्राम भैंसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान

अपील नं.

वनाम ग्राम पंचायत भैंसलाना जरिए सचिव ग्राम पंचायत भैंसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान, अनिता कँवर पत्नि स्व. मोहन सिंह, समुद्र सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह, रुकमण कँवर पुत्री स्व. मोहन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी भैंसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ अपीलान्ट में आपके विरुद्ध अपील पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18.11.2026 के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस अपील से सम्बन्धित सभी वारदात प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखि / सुजराई का अपील या प्रतिअपील आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के अपील या प्रतिअपील के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपवद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।

आपको सूचित किया जाता है यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो अपील की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

यह अपील तारीख 13/11/2026. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर-DEV/AJMER/TRUST/2026/1194

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री श्री अमर सिंह मीना, पुत्र श्री प्रभुलाल, ग्राम-पोस्ट रानीपुरा, तह. -उनियारा, जिला-टोंक ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास

कन्हैया जनकल्याण एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, सन सिटी, डाईट रोड, जिला-टोंक (राजस्थान) के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 04-11-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 21/01/2027

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग अजमेर

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

क्रमांक :- जसअ/2026/297 दिनांक: 05.11.2026

ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मु0) 31/2026-27

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मु0) से सम्बन्धित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com, eproc.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal Government of Rajasthan की वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in व http://Shpp.raj.nic.in के UBN No:-JMC2627SLOB00755 पर देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/26/13212

अधिशाषी अभियन्ता (मु0)
नगर निगम जयपुर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

केन्द्रीय छात्रवृत्ति फ्रेश वर्ष 2026 हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु सूचना

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली की केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना फ्रेश 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान बोर्ड के ऐसे परीक्षार्थी जो Top 20 पर्सेंटाइल की सूची (परीक्षा वर्ष 2026 की **Top 20 Percentile की सूची एवं दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है**) में आते हैं, ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में दिव्यांगो (PwDs) का 5% आरक्षण है। राजस्थान बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 में **Science, Commerce and Humanities** से परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज/विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थी आवेदन के लिए पात्र हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के National Scholarship Portal के लिंक www.scholarships.gov.in पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। Top 20 पर्सेन्टाइल राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी परिणाम पर आधारित है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना ही चयन का आधार नहीं होगा। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों का चयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार होगा। केन्द्रीय छात्रवृत्ति 2026 के लिए चयनित विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करने संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन नं. 0120-6619540 पर संपर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट www.scholarships.gov.in देखी जा सकती है।

नोट :- एनएसपी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण के लिए खाता संख्या की आवश्यकता नहीं है। छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में वितरित की जाएगी।

सचिव

नम्बर मिलाइए 8890333139



सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।